तारीख हुक्म	इजराय संख्या 69/2018 राजेश पहाड़ियां बनाम गंगाधर 1	आदेश की पालना बाबत रिपोर्ट
29.10.2025	डिक्रीदार अधिवक्ता उपस्थित। सेल अमीन की ओर से यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है कि खसरा नंबर 3763 क्षेत्रफल 0.54 भूमि राजस्व रिकॉर्ड में जगदीश प्रसाद के नाम दर्ज होने के कारण डिक्रीदार के नाम रजिस्ट्री नहीं की जा सकी। जिसके संबंध में डिक्रीदार अधिवक्ता की ओर से यह जाहिर किया गया कि निर्णय पारित किये जाने के समय खसरा नंबर 3763 में 1/5 हिस्सा गंगाधर के नाम रिकॉर्ड में था। तत्पश्चात राजस्व कर्मचारी/अधिकारियों के द्वारा बेईमानीपूर्वक षड़यंत्र रचकर जगदीश के नाम दर्ज कर दी गयी है। जबकि निर्णय के अनुसार उक्त संपत्ति खसरा नंबर 3763 में गंगाधर के हिस्से की 1/5 संपत्ति डिक्रीदार राजेश के नाम दर्ज की जानी चाहिए थी। अधिवक्ता डिक्रीदार पक्ष की ओर से प्रकट तथ्य तथा सेल अमीन की रिपोर्ट को देखते हुए पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस संबंध में तहसीलदार/जिला कलेक्टर को यह पत्र प्रेषित किया जावे कि निर्णय की पालना में खसरा नंबर 3763 में 1/5 हिस्सा पूर्व की भाँति गंगाधर के नाम दर्ज किया जावे ताकि उक्त इजराय की पालना में रजिस्ट्री राजेश के नाम की जा सके। पत्रावली उक्त पत्र के जवाब प्राप्त होने हेतु दिनाँक 10.11.2025 को पेश हो।	